

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्राप्प - 11

प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि की मांग का पूर्ण औचित्य हेतु आख्या

(परियोजना के सम्बन्ध में विवरण)

जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड चम्बा में नगर पालिका चम्बा हेतु ई०ए०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत चम्बा पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 823/ उन्तीस (2)/19-2 (11 पे०)/2019, पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 28 जून, 2019 के द्वारा स्वीकृत की गयी है। योजना के संरेखण हेतु विस्तृत अध्ययन उपरान्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण योजना के निर्माण हेतु 0.3698 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.5382 हे० सिविल सोयम भूमि कुल 0.908 हे० वनभूमि की नितान्त आवश्यकता है। अतः उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित /सिविल सोयम वनभूमि की 30 वर्षों की लीज पर लिये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के निर्माण उपरान्त नगर पालिका चम्बा में निवासरत लगभग 2100 परिवारों जिनकी जनसंख्या 20487 है, को जीवनयापन हेतु अतिआवश्यक पेयजल उपलब्ध हो जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, चम्बा, टि०गढ०।

प्रमुख वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, चम्बा, टि०गढ०।
एच० निर्माण निगम, चम्बा